प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज एवं झांसी में हाउसकीपिंग सेनीटेशन एंव आउटसोर्सिंग, सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि के मानदेय भुगतान हेतु मानक मद-58-आाउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/543, दिनॉक 21.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज एवं झांसी में हाउसकीपिंग सेनीटेशन एंव आउटसोर्सिंग, सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि के मानदेय भुगतान हेतु मानक मद-58-आाउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु रू0 5900.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष लेखाशीर्षक 2210-05-105-03- राजकीय मेडिकल कालेज यथा- गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज एवं झांसी हेतु मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के भुगतान हेतु निम्न विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि कुल रू0 5900.00 लाख (रू0 उनसठ करोड़ मात्र) (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वितीय वर्ष 2022-23 में नहीं की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210051050340 (मेडिकल कालेज प्रयागराज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050340 मेडिकल कालेज प्रयागराज	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	14,00,00,000 (रुपये चौदह करोड़ मात्र)
	कुल			**14,00,00,000** **(रुपये चौदह करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050341 (मेडिकल कालेज मेरठ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050341 मेडिकल कालेज मेरठ	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	14,00,00,000 (रुपये चौदह करोड़ मात्र)
	कुल			**14,00,00,000** **(रुपये चौदह करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050342 (मेडिकल कालेज झांसी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050342 मेडिकल कालेज झांसी	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	16,00,00,000 (रुपये सोलह करोड़ मात्र)
	कुल			**16,00,00,000** **(रुपये सोलह करोड़ मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 2210051050343 (मेडिकल कालेज गोरखपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050343 मेडिकल कालेज गोरखपुर	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	15,00,00,000 (रुपये पंद्रह करोड़ मात्र)
	कुल			**15,00,00,000** **(रुपये पंद्रह करोड़ मात्र)**

महायोग	59,00,00,000 (रुपये उनसठ करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त आय)-व्ययक -अनुभाग (1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

Sig**अवदीप्र** सत्य प्रकाश सिंह
Date: 23-01-2023 18:23:31
Reason: Approved

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज एवं झांसी।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज एवं झांसी।
5. संयुक्त् सचिव (श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज एवं झांसी।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I/264957/2023

बी एम-9 (भाग- 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20222-23-71-1002-23/2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज तथा झांसी में हाउसकीपिंग सेनीटेशन एंव आउटसोर्सिंग, सिक्योरिटी गार्ड इत्यादि के मानदेय भुगतान हेतु मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050 324 (मेडिकल कालेज आजमगढ़)	01- (वेतन)	43,00,00,000 रूपये तैंतालिस करोड़ मात्र	8,00,00,000 रूपये आठ करोड़ मात्र	8,00,00,000 रूपये आठ करोड़ मात्र		35,00,00,000	2022-23
031	2210051050 342 (मेडिकल कालेज झांसी)	01- (वेतन)	25,00,00,000 रूपये पच्चीस करोड़ मात्र	5,00,00,000 रूपये पॉच करोड़ मात्र	5,00,00,000 रूपये पॉच करोड़ मात्र		20,00,00,000	2022-23
031	2210051050 342 (मेडिकल कालेज आजमगढ़)	03- (मंहगाई भत्ता)	13,00,00,000 रूपये तेरह करोड़ मात्र	2,00,00,000 रूपये दो करोड़ मात्र	2,00,00,000 रूपये दो करोड़ मात्र		11, 00,00,000	2022-23
031	2210051050 343 (मेडिकल कालेज गोरखख्पुर)	01- (वेतन)	60,00,00,000 रूपये साठ करोड़ मात्र	15,00,00,000 रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र	15,00,00, 000 रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र		45,00,00,000	2022-23
031	2210051050	20-	15,00,00,000	15,00,00,000	15,00,00,		0	2022-23

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

•	393 (फेज-III के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का संचालन)	(सहायता अनुदान सामान्य गैर वेतन)	रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र	रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र	000 रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र मात्र			
031	2210051050 343 (मेडिकल कालेज गोरखपुर)	03- (महंगाई भत्ता)	25,65,28,000 रूपये पच्चीस करोड़ पैसठ लाख अट्ठाईस हजार मात्र	12,00,00,000 रूपये बारह करोड़ मात्र	12,00,00, 000 रूपये बारह करोड़ मात्र		13,65,28,000	2022-23
031	2210051050 343 (मेडिकल कालेज गोरखख्पुर)	55- (मकान किराया भत्ता)	9,40,82,000 रूपये नौ करोड़ चालीस लाख बयासी हजार मात्र	5,00,00,000 रूपये पॉच करोड़ मात्र	2,00,00,0 00 रूपये दो करोड़ मात्र		7,40,82,000	2022-23

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050340 (मेडिकल कालेज प्रयागराज)	58-(आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	8,00,00,000 रूपये आठ करोड़ मात्र	14,00,00,000 रूपये चौदह करोड़ मात्र		22,00,00,000	2022-23
031	2210051050342 (मेडिकल कालेज झांसी)	58-(आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	8,00,00,000 रूपये आठ करोड़ मात्र	16,00,00,000 रूपये सोलह करोड़ मात्र		24,00,00,000	2022-23
031	2210051050341 (मेडिकल कालेज मेरठ)	58-(आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	7,00,00,000 रूपये सात करोड़ मात्र	14,00,00,000 रूपये चौदह करोड़ मात्र		21,00,00,000	2022-23
031	2210051050343 (मेडिकल कालेज गोरखपुर)	58-(आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	10,00,00,000 रूपये दस करोड़ मात्र	15,00,00,000 रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र		25,00,00,000	2022-23

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में उक्तानुसार राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़ में रू0 1000.00 लाख, मेडिकल कालेज, झांसी में रू0 500.00 लाख, मेडिकल कालेज, गोरखपुर में रू0 2900.00 लाख तथा फेज-3 में रू0 1500.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 5900.00 लाख की बचत संभावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य , मे0का0 गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 01.10.2022, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ ने अपने पत्र दिनांक 10.10.2022, प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, प्रयागराज ने अपने पत्र दिनांक 13.10.2022 तथा प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, झांसी ने अपने पत्र दिनांक 19.10.202 के माध्यम से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में मानक मद-58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में प्रविधानित धनराशि पर्याप्त न होने के कारण लम्बित माहों एंव शेष माहों के मानदेय हेतु अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से सृजित की जा रही है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-<फाइल-1-2880> -2022-23, दिनांक- 21 जनवरी, 2023

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

Signed by सत्य प्रकाश सिंह
Date: 13-01-2023 10:31:05
Reason: Approved

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

(पवित्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।